न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल,मध्य प्रदेश ,ग्वालियर

निग -1587-II-16

निगरानी प्रकरण कं. .....

रूपराम आ. किशनलाल आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम महुकला
तह. बुदनी जिला–सीहोर.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

(91)

1. श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व.मदनलाल
   निवासी बम्होरीकला
   तह. गाडरबाडा जिला–नरसिंहपुर
2. श्रीमती मीनाबाई पुत्री स्व.मदनलाल
   निवासी दिगबाड
   तह.सौहागपुर जिला–होशंगाबाद.....प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता विद्वान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के राजस्व प्रकरण कमांक 217/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 29/2/2016 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है –

प्रकरण के तथ्य

1) यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महुँकला में भूमि खसरा नं. 78/2 ,79/1 ,90/2 ,152/1 ,152/2 ,152/3 ,159/175/1 कुलकिता 4 कुल रकवा 25.86 एकड भूमि अपीलार्थी के पिता किशनलाल आ. लल्लू तथा प्रकाश आ. बाबूलाल ,मायाबाई ,गायत्रीबाई ,सावित्रीबाई ,कमला बाई पुत्री बाबूलाल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी। इस भूमि का बंटवारा अपीलार्थी के पिता किशनलाल एवं सहखातेदार प्रकाश वगैरह के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव कमांक 12/2002 के द्वारा कराया गया जिसका प्रमाणीकरण संशोधन पंजी कमांक 3 आदेश दिनांक 02/3/2002 के द्वारा किया गया जिस पर अपीलार्थी के पिता किशनलाल एवं सहखातेदार प्रकाश के हस्ताक्षर है। तदअनुसार राजस्व अभिलेख भी दुरूस्त किया गया ।तभी से भूमि खसरा नं. 78/2 ,79/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1587–दो/2016 जिला सीहोर

रूपराम विरूद्ध राजकुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१–7–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 29–2–2016 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत तहसीलदार द्वारा अनोदिका पुत्रियों को पिता की भूमि में विधिक वारिसान मानते हुये उभय पक्षों को नामांतरण स्वीकृत किया। अपर आयुक्त ने अनावेदिकाओं को मदनलाल के विधिक वारिस माना है। अपर आयुक्त ने तहसीलदार के आदेश को उचित रखने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है क्योंकि पुत्रियां वारिसाना नामांतरण हितबद्ध पक्षकार होकर वारिस होती है जो नामांतरण में हिस्से की हकदार होती है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अपर आयुक्त के समक्ष उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया क्योंकि अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना पत्र तामील कराया गया था जिसपर वे उनुपस्थित रहे। इसी कारण अपर आयुक्त ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है। अपर	

आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थितियों में इस निगरानी ग्राह्यता के प्रथमदृष्टया आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य